

## प्रेस विज्ञप्ति

### अफीम कृषकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

समस्त बिना चीरा अफीम पोस्त (CPS) की खेती करने वाले कृषकों एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा फसल वर्ष 2021-22 में बिना चीरा अफीम पोस्त (CPS) की काश्त के लिए अफीम नीति की अधिसूचना No.01/2021- Narcotics Control-I G.S.R 727(E), दिनांक 11.10.2021 जारी की गई थी, जिसके प्रावधानों के अंतर्गत बिना चीरा अफीम पोस्त (CPS) की खेती करने वाले लाईसेंसी कृषकों की बिना चीरा अफीम पोस्त (CPS) का तौल दिनांक 25.04.2022 से प्रारम्भ होने जा रहा है। भारत सरकार द्वारा कृषकों की तौल केन्द्र पर तुलवाई गई बिना चीरा अफीम पोस्त (CPS) की कुल कीमत मूल्य रू0 200/- प्रति किलोग्राम की दर से निर्धारित किया गया है। जिसका भुगतान संबंधित जिला अफीम अधिकारी द्वारा कृषकों के बैंक खाता में ऑनलाईन माध्यम द्वारा तत्काल हस्तांतरण कर दिया जायेगा।

उप नारकोटिक्स आयुक्त  
नीमच/ कोटा/ लखनऊ